

वशेष प्रोत्साहन पैकेज में अब प्लास्टिक एवं टेक्सटाइल्स उद्योग भी शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रपरिषद की बैठक में राज्य में असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक और टेक्सटाइल क्षेत्र के दो उद्योगों को वशेष नविश प्रोत्साहन पैकेज दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बढि

- जनि दो उद्योगों को वशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का अनुमोदन किया गया है उनमें प्लास्टिक गुड्स मैन्युफेक्चरिंग प्लांट एवं नॉनओवन इंटरलाइनिंग फैब्रिक उद्योग शामिल हैं।
- प्लास्टिक गुड्स मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिये मेसर्स वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ 107.73 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है, जिसमें लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इसी प्रकार मेसर्स एसबीटी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा नॉनओवन इंटरलाइनिंग फैब्रिक उद्योग लगाने के लिये 22.15 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। इस टेक्सटाइल्स उद्योग की स्थापना से लगभग 220 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- 'बी स्पोक पॉलिसी' के तहत वशेष प्रोत्साहन पैकेज में राज्य के कोर सेक्टर के लौह-इस्पात, सीमेंट एवं बज्रिली के उद्योगों को पहले ही शामिल कर लिया गया है।
- 'बी-स्पोक पॉलिसी' के तहत प्लास्टिक और टेक्सटाइल के दो उद्योगों के लगने से राज्य में लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योग के लिये क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक दी गई है।